राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–228) अलेसे–I/671 दिनांकः– 11/09/2018

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में दायर अपील संख्या 2371/2018 दिनांक 13.07.2018 श्री देवीसिंह मीणा बनाम निदेशक, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर में पारित आदेश दिनांक 06.08.2018 की अनुपालना में अपीलार्थी श्री देवीसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I द्वारा दिनांक 24.08.2018 को निदेशालय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर नियमसंगत रूप से विचार करने के उपरांत यह स्पष्ट है कि विभागीय आदेश क्रमांक 147/2018–19 दिनांक 11.07.2018 के द्वारा श्री मीणा का स्थानान्तरण/पदस्थापन वित्त(राजस्व) विभाग की आईडी क्रमांक एफ2(1)वित्त/राजस्व/2018 दिनांक 11.07.2018 के माध्यम से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने के उपरांत अधीक्षण अभियंता, वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली से उप निदेशक, शिक्षा विभाग(प्रारम्भिक), भरतपुर किया गया था। अतः वित्त(राजस्व) विभाग के परिपत्र(दिशा–निर्देश) दिनांक 08.03.2017 के बिन्दु संख्या–1 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार की अनुमति से राज्य हित में किया गया उक्त स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति से सुसंगत है।

अतः माननीय अपील अधिकरण के उक्त आदेश की अनुपालना में श्री मीणा द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों आदि के परिप्रेक्ष्य में सम्यक परीक्षणोपरान्त एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(डी–228) अलेसे–I/671 दिनांकः– 11/09/2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 श्री देवीसिंह मीणा, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, अधीक्षण अभिन्ता, वृत्त, सार्वजनिक निर्माण विभाग, करौली।
2 अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
3 उपनिदेशक (एसीपी), कम्प्यूटर शाखा, कार्यालय हाजा को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4 गार्ड फाईल/निजी पत्रावली।

(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)